

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल

क्र. संख्या ५१/२०१५

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र ८५८६/१५ (एस) जेरेमिया सिंह परिवार

विरुद्ध महाराष्ट्र शासन एवं अन्य।

संदर्भ :-

प्रक्रिया क्र. ५०५५/२०१६ दिनांक ३१.३.१६ एवं आवक
क्रमांक ११८६ दिनांक ११.२.१६।

-००-

१. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्राचार्य/उक्त संदर्भानुसार

से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. ८५८६ २०१५/१५ (एस) की याचिका प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध क्षतिपूर्ति ५०,००,०००/- एल.एल.बी. के तहत सेक्टर व कबे सेक्टर की मार्केट से है।

२. प्रकरण में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उनाजिया चंजल सेनाग, गवर्नर के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है। कृपया अनुमोदन करना चाहिए साथ ही यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियाँ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सुनवाई दिनांक ३१.३.२०१६ है।

कृपया,

OTC हेतु स्वच्छ प्रतियाँ
हस्ताक्षर प्रस्तुत

आयुक्त/सचिव महोदय

वि.क.अ. (न्या.प्रकोष्ठ)

27/02/16

200,01/16
27-2-1619/02/16
27-2-16

27/2/16

18/2/16
05/2/16

27-2-16

27/2/16

R.No. 83/अज्ञा/न्या.७/२०१६ पृष्ठ क्र. २

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

सु. सरब
नवी क्रमांक 57/२०१५

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र. 8586/15 (एस) हरेन्द्र सिंह परिहार

विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं कर्म

आदेश :-

शासन द्वारा क्रमांक २००/२३/उच्च शिक्षा/न्या.७/२०१६
दिनांक २१.२.१६

00

सचिव मध्य प्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक संज्ञा/न्या.७/२०१६
दिनांक २१.२.१६ में अतिरिक्त संचालक/सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय
पेबल संगरा, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर
अंकित करना ताहें।

उपस्था

प्रतिरक्षण हेतु नस्ती विधि-

विभाग प्रेषित करना ताहें। १०४/०३/१६

बी.के. चौरसिया
वि.क.अ.

आयुक्त/सचिव महोदय

विधि विभाग

६-३-१६
उमाकान्त उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

ONE
R.No. 271
१३/३/१६
१३/३/१६

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
नंत्रालय

क्रमांक 200/83/उच्च शिक्षा विभाग/नंत्रालय/2016 मोपास दिनांक 27-2-16
सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त संसदीय विधायक विभाग

को या चेका क्रमांक WP-8586/2015

(पक्षकारों के नाम) हरेंद्र सिंह जरिहार विरुद्ध म.प्र. शासन
एवं अन्य।

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- 2/ समस्त सूर गत फाइलें, दस्तावेज, निम्न अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
 - 1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।
 - 2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।
 - 3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
 - 4/ मामले दिशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।
- 7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उत्तरकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पदकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रतः गोप्य आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

16 भोपाल, दिनांक 27-2-16

पृष्ठ संख्या 201/83/उशिवि/मंत्रालय/न्याय/अ.प्र./16 भोपाल, दिनांक 27-2-16

प्रतिनिधि:-

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय भोपाल जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

4/ ~~अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, संभाग ग्वालियर~~

प्रभारी अधिकारी की ओर अप्रति। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और

उपरिस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय

अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रगत रिपोर्ट की

एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ई। भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस

विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख 21.3.2016 की

सुनवाई हेतु नियत की गई थी/हैं।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 4044/2016

WP/8586/2015

संज्ञित आवक... 1786
दिनांक... 17/2/16

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 21-03-2016
DA- 04
Respondent No. 1
RAD

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,
Commissioner, High Education
Department, Satpuda Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 06-02-2016

ज्या. 50
8.
17-2-16

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8586/ 2015.

Sir/Madam,

हस्ता
26/2/16
18/2/16

I am directed to inform you that one **Narendra Singh Parihar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8586/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

S. Gupta
02-16

SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

2